न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री गोरधन लाल पिता मोहनलाल शर्मा निवासी आमेसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —–अपीलार्थी	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द —–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 17/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 19.04.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 25/01/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 683914 डाक से भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25.01.2018 की सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित समय सीमा 30 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25/01/2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27/04/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि उपस्थित जिसने अपने पत्रांक /राजस्व /2018/ 4191 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2018/4181—82 दिनांक 09.05.2018 से निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई। उक्त पत्र पर सूचना प्राप्ति हेतु स्वयं अपीलान्ट की रसीद ली गई जो इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करादी जाने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने प्रत्यर्थी प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.01.2018 को प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार के तहत 10/– रूपये के आइपीओ के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन में श्रीमती सोहनीदेवी के गैर खातेदारी से खातेदारी की पत्रावली की नकल चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्रांक 4181–82 दिनांक 09.05.2018 से जो सूचना उपलब्ध कराई उसमें भी स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 23.06.2017 के न्याय आपके द्वार केम्प आमेसर में श्रीमती सोहनी देवी पत्नि देवा दरोगा की गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु प्रस्तुत पत्रावली की नकल चाही गई जो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सिद्ध होता है। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 25.01.2018 को प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अपीलार्थी को 24.02.2018 तक वांछित नकल उपलब्ध कराई जानी थी परन्तु नकल दिनांक 09.05.2018 को उपलब्ध कराई जो कि विलम्ब से उपलब्ध कराई गई है। प्रत्यर्थी भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में स्वयं के कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों का समयावधि में निस्तारण करने की सुनिश्चितता करें।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 17/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा